# नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के बार बिल्डिंग के चैम्बर सं0 57 के बगल स्थित सेमल के वृक्ष (01 अद्द) की नीलामी कार्यवाही दिनांक 19.05.2018 को नियत की गयी है। नीलामी प्राप्तकर्ता वृक्ष से सम्बन्धित अनुज्ञा पत्र वन विभाग से स्वंय प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञा पत्र हेतु पातन से पूर्व पातन एवं निस्तारण शुल्क तथा मूल्यांकन शुल्क रू0 110/– प्रति वृक्ष की दर से रू0 110/– तथा उक्त वृक्ष के पातन के फलस्वरूप 05 टन प्रकाष्ठ के ढुलान हेतु अग्रिम अभिवाहन शुल्क रू0 38/– प्रति टन की दर से रू0 190.00 की धनराशि क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रयाग को भुगतान स्वंय करेगा। इसके साथ ही वृक्ष की नीलामी रू03820/– से कम नहीं होगी। अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने के बाद ही वृक्ष के कटान का कार्य किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी बोली में भाग लेने हेतु दिनांक 19.05.2018 को समय पूर्वाहन् 11:.00 बजे नजारत अनुभाग, उच्च न्यायालय परिसर में उपस्थित होगें। वृक्ष का विस्तृत विवरण नजारत अनुभाग से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है।

**निबन्धक (शिष्टाचार)**
**उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।**

## नीलामी की शर्तें

1. सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बतायें अस्वीकार कर दें। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलमी में भाग लेने से पूर्व रू0500/– नगद जमानत राशि जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने वाले हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा, जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाले पेड़ की नीलामी से दो दिन पूर्व 17.05.2018 को अपराहान् 2:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक सहायक निबन्धक (नजारत) /न्यायालय अधिकारी से सम्पर्क कर देखा जा सकेगा।
5. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वृक्ष का पूर्ण निरीक्षण कर लें।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम सर्वोच्च बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर बोली बोलने वाले को बोली का 75 प्रतिशत धनराशि तुरंत जमा करना होगा, तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। अतः इस शर्त का अनुपालन न करने पर बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. वृक्ष की अन्तिम बोली को जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है तब तक वृक्ष पर उच्च न्यायालय प्रशासन का अधिकार रहेगा।
8. नीलाम किये गये वृक्ष को उच्च बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक की उसने बोली की पूर्ण धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो।
9. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को वृक्ष को पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त संख्या 9 के पूर्ण होने के पश्चात तत्काल वृक्ष को हटाना होगा।
10. यदि नीलामी की शर्तो के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

**निबन्धक (शिष्टाचार)**
**उच्च न्यायालय, इलाहाबाद**